

28/6/22 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री
 नारायणी प्रसाद उप.। प्रार्थीगण की ओर से
 प्रार्थना पत्र विद्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया।
 प्रार्थी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र सुना गया।
 प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र
 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्याख्या की
 प्रशासन के मध्य आपसी राजीनामा हो
 जाने से प्रार्थना पत्र जारी विद्रो खारिज
 किया जावे। राजीनामे की शर्त प्रस्तुत नहीं की गई।

ध्यान : प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत
 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
 के सल अग्रिम होऊँ। वासिल अफगल हो।

रामलाल

शुभराज

अ
 B. K.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यालय प्रभु सिंह
 (पफास्ट ट्रेक) सीओओ (जालौर)

